चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0 / 2660
दिनांक : 16.04.2020

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबन्धक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः– स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षको / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त निदेशालय के पत्रांक डिग्री विकास / 5341–50 / 2019–20 दिनांक 20.03.2020 के अनुपालन में विश्वविद्यालय पत्र संख्या–पी0ए0 / 2651 दिनांक 31.03.2020 के द्वारा समस्त स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धकों को लॉकडाउन की अवधि में समस्त शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का माह–फरवरी एवं माह–मार्च–2020 का वेतन भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था। संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय महाविद्यालयों / संस्थानों के द्वारा अपने महाविद्यालय के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान नियमित नही किया जा रहा है जो कि शासन व विश्वविद्यालय के आदेशों की अवहेलना है जिस पर मा0 कुलपति जी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में शासन के आदेशों के अनुपालन तथा मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने महाविद्यालय के समस्त शिक्षक जो कि विश्वविद्यालय स्तर से अनुमोदित है एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान नियमित रूप से शीघ्रातिशीघ्र करने के साथ ही भविष्य में करते रहेगें। यदि किसी महाविद्यालय / संस्थान के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान न करने की शिकायत विश्वविद्यालय को प्राप्त होती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार कडी कार्यवाही की जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय / संस्थान का होगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. वैयक्तिक सहायक प्रति–कुलपति को प्रति–कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ।
04. परीक्षा नियंत्रक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
05. प्रेस प्रवक्ता, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
06. प्रभारी वेबसाइट, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

16-04-2020

कुलसचिव